बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

शराब के व्यापार में संलग्न ट्रांसपोर्टरों हेतु आवश्यक सूचना

बिहार सरकार ने 21 दिसम्बर 2015 को नई उत्पाद नीति घोषित की है, जिसे विभाग के वेबसाइट www.excise.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। इस नीति के तहत समस्त राज्य में 01 अप्रैल 2016 से देशी शराब का उत्पादन, व्यापार एवं उपभोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मात्र विदेशी शराब के उत्पादन, व्यापार एवं उपभोग की अनुमति होगी, वह भी केवल शहरी क्षेत्र में। जो दूकानें शहरी क्षेत्र में विदेशी शराब बेचेंगी, उन्हें बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने सीधे नियंत्रण में चलाएगा। साथ ही 01 अप्रैल 2016 से प्रवर्त्तन तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से यह तय किया गया है कि विदेशी शराब या उसके निर्माण से संबंधित कच्ची सामग्री या उत्पाद यथा–छोआ, सुषव (स्पिरिट), ई0एन0ए0, ईथेनॉल, बोतल, रैपर, सील इत्यादि का राज्य में और राज्य से (ट्रांजिट) परिचालन ऐसे कंटेनर रूपी ट्रकों एवं टैंकरों के माध्यम से होगा, जो डिजीटल लॉक एवं जी0पी0एस0 सुविधा से लैस होंगे। साधारण ट्रकों में डिजीटल लॉक नहीं लग सकता है, अतः **"कंटेनर रूपी ट्रक"** ही प्रयोग में लाए जाएँ।

2. राज्य में अवस्थित ट्रांसपोर्टर्स तथा देश भर के ट्रांसपोर्टरों (जो शराब व्यापार से संबद्ध हैं) से इस विज्ञप्ति के द्वारा यह अपील की जाती है कि 01 अप्रैल 2016 से आप शराब से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान का परिचालन केवल डिजीटल लॉक सील तथा जी0पी0एस0 युक्त टैंकर अथवा कंटेनर रूपी ट्रकों के माध्यम से ही करें। यदि आप अन्य राज्यों से सामान मंगाकर किसी अन्य राज्य में भेज रहे हैं और बिहार राज्य से मात्र ट्रांजिट होगा तो भी इन टैंकरों तथा कंटेनर रूपी ट्रकों को ट्रांजिट की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उसमें भी डिजीटल लॉक तथा जी0पी0एस0 की व्यवस्था हो। बिहार की सीमा में दाखिल होने तथा बिहार की सीमा से निकलने के लिए 24 घंटे का ट्रांजिट समय अधिकतम किया गया है। ऐसा नहीं करने वाले ट्रकों पर विभाग आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

3. नई उत्पाद नीति, 2015 के तहत अब शराब से संबंधित किसी भी Raw Material, Finished Material अथवा Intermediate Material का परिचालन (Movement) मात्र डिजीटल लॉक/जी0पी0एस0 से लैस टैंकरों अथवा कंटेनर रूपी ट्रकों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। यह बात बिहार राज्य में अवस्थित सभी Sugar Mills, Distilleries, Bottlers तथा Bihar State Beverages Corporation Ltd. के उपर भी लागू होती है।

4. इस नई व्यवस्था के तहत बिहार में अवस्थित Sugar Mills, Distillers, Bottlers, Retailers (BSBCL) को भारी मात्रा में Digital Lock/GPS युक्त टैंकरों तथा कंटेनर रूपी ट्रकों की आवश्यकता होगी। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे वाहनों की एक केन्द्रीकृत सूची विभाग के स्तर पर बनायी जाय तथा इन्हीं ट्रकों/टैंकरों के माध्यम से बिहार के Sugar Mills, Distillers, Bottlers, Retailers अपनी आवश्यकतानुसार काम लें। इसके तहत देश भर के सभी इच्छुक ट्रांसपोर्टर्स से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है कि यदि वे बिहार में शराब संबंधी किसी भी प्रकार से जुड़ी सामग्री का परिवहन करते हैं वे उपयोग में लाये जाने वाले **"टैंकर/कंटेनर रूपी ट्रक"** को उत्पाद विभाग में पंजीकृत करा लें।

5. यह तय किया गया है कि राज्य में विदेशी शराब से संबंधित किसी भी सामग्री (यथा– Molasses (छोआ), सुषव, ENA, Ethanol, खाली या भरी बोतलें, Plant & Machinery, Wrappers, Seal इत्यादि का परिचालन मात्र इस सूची में निबंधित वाहनों द्वारा ही किया जा सकेगा, अन्य वाहनों के द्वारा नहीं।

6. ऐसे सभी इच्छुक ट्रांसपोर्टर्स अपने **"टैंकर्स/कन्टेनर रूपी ट्रक"** का रजिस्ट्रेशन (निबंधन), उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में करा सकते हैं, ताकि वे 01 अप्रैल 2016 से बिहार राज्य में विदेशी शराब संबंधी कार्य अथवा बिहार को ट्रांजिट करने का कार्य सुगमता से कर सकें।

7. वे ट्रांसपोर्टर्स भी आवेदन दे सकते हैं, जिनके पास अभी **"टैंकर्स/कन्टेनर रूपी ट्रक"** नहीं है, किन्तु 01 अप्रैल 2016 तक वे इन्हें खरीदकर अथवा अपने वर्तमान ट्रकों को "कन्टेनर रूपी ट्रक" में परिवर्तित कर उपलब्ध करा सकते हैं।

8. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आपसे प्राप्त आवेदनों में से उतने ही **"टैंकर्स/कन्टेनर रूपी ट्रकों"** को निबंधित करेगा, जितने की विभाग को आवश्यकता होगी। ट्रांसपोर्टर्स को प्रति वाहन रुपये 50,000/– की दर से सेक्युरिटी राशि, एक वर्ष की बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद विभाग का प्रयास होगा कि वैसे **"टैंकर्स/कन्टेनर रूपी ट्रकों"** का औसतन सारे वर्ष इस्तेमाल हो। विभाग यह व्यवस्था करेगा कि Sugar Mills/ Distillers/Bottlers तथा BSBCL द्वारा इन्हीं ट्रकों के माध्यम से अपने सामान का परिवहन करें।

9. विभाग यह सूची प्रति वर्ष बनाएगा। वर्तमान में तैयार की जाने वाली सूची 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान यदि विभाग को अधिक वाहनों की आवश्यकता हुई तो तदनुसार नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। अतः रजिस्ट्रेशन वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता को देखते हुए एक सतत् प्रक्रिया होगी।

10. ट्रांसपोर्टर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकृत वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर के पास व्यावसायिक वाहन चलाने को वैद्य ड्राइविंग लाईसेंस अवश्य हो।

11. इच्छुक ट्रांसपोर्टर्स, जो अपने वाहनों को रजिस्टर कराना चाहते हों, वे निम्न प्रपत्र में आवेदन भर कर उत्पाद विभाग को भेजें। प्रत्येक वाहन हेतु अलग–अलग आवेदन देना होगा।

आवेदन प्रपत्र

(प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग आवेदन देना होगा)

1.	ट्रक का प्रकार	:–	(टैंकर / कंटेनर रूपी ट्रक) (जो लागू नहीं हो, उसे काट दें)
2.	टैंकर / कंटेनर रूपी ट्रक की क्षमता (लीटर / टन)	:–	
3.*	टैंकर / कंटेनर रूपी ट्रक का रजिस्ट्रेशन नम्बर (रजिस्ट्रेशन कागजात की छायाप्रति संलग्न करें)	:–	
4.*	फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि	:–	(कृपया फिटनेस सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करें)
5.	"टैंकर / कंटेनर रूपी ट्रक" का निबंधन जिस पते पर हुआ है, वह पता –	:–	
6.	"टैंकर / कंटेनर रूपी ट्रक" के मालिक का नाम एवं पता (फोन नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 के साथ)	:–	(पते के प्रमाण के रूप में कोई कागजात लगाएँ यथा बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि)

(*यदि आप नया वाहन खरीदकर उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो क्रमांक 3 एवं 4 की जानकारी वाहन क्रय करने के बाद दी जा सकती है।)

घोषणा

मैं...(टैंकर / कंटेनर रूपी ट्रक के मालिक का नाम) यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सही हैं। उपरोक्त टैंकर / कंटेनर रूपी ट्रक मेरे पास इस वक्त उपलब्ध है और मैं इसे निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु तैयार हूँ। मैं इसमें जी0पी0एस0 तथा डिजीटल लॉक की व्यवस्था विभाग के दिए मानकों के अनुसार अपने खर्च पर कराने के लिए तैयार हूँ। इस हेतु मैं प्रति ट्रक / टैंकर रुपये 50,000 / – (पचास हजार रुपये) की सेक्यूरिटी, जो बैंक गारन्टी (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) के रूप में होगी, देने के लिए तैयार हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

या

मैं... यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सही हैं। यद्यपि उपरोक्त टैंकर / कन्टेनर रूपी ट्रक मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु 01 अप्रैल 2016 से पूर्व उपर इंगित क्षमता के अनुसार इसे उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। यदि निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार में मेरे वाहन का पंजीकरण कर दिया जाता है तो मैं 01 अप्रैल 2016 से पहले उपरोक्त अनुसार उपलब्ध करा दूंगा। मैं इसमें जी0पी0एस0 तथा डिजीटल लॉक की व्यवस्था विभाग के दिए मानकों के अनुसार अपने खर्च पर कराने के लिए तैयार हूँ। इस हेतु मैं प्रति ट्रक / टैंकर रुपये 50,000** / – (पचास हजार रुपये) की सेक्यूरिटी, जो बैंक गारन्टी (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) के रूप में होगी, देने के लिए तैयार हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

12. इच्छुक ट्रांसपोर्टर्स से अनुरोध है कि वह उपरोक्त प्रपत्र में अपना आवेदन भरकर सभी कागजातों के समेत इस विभाग को निम्नलिखित पते पर **दिनांक 15.02.16** तक अनिवार्य रूप से भेज दें, ताकि उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कर विभाग उन्हें सूचित कर सके और वे 01 अप्रैल से सुगमता से विदेशी शराब के क्षेत्र में बिहार के अन्दर एवं बिहार में ट्रांजिट के दौरान काम कर सकें। जो ट्रांसपोर्टर्स नए **"टैंकर्स / कन्टेनर रूपी ट्रक"** खरीदकर उपलब्ध कराना चाहते हैं, वे अपना आवेदन **दिनांक 29.02.2016** तक विभाग में भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए **श्री शकील स्वर**, को दूरभाष संख्या **09402134081** एवं ई–मेल shakeelswer@kpmg.com पर संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक ट्रांसपोर्टर्स निम्न पते पर अपना आवेदन हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक से भेज सकते हैं :–

आयुक्त उत्पाद के सचिव,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
नया सचिवालय, विकास भवन, पटना–15.

(कुंवर जंग बहादुर)
आयुक्त उत्पाद,
बिहार, पटना।

Bank Guarantee Format

No. Date:

To
Excise Commissioner,
Department of Registration, Excise and Prohibition,
Government of Bihar

Whereas, <name of the transporter and address>(hereinafter called “the transporter”) has undertaken, in pursuance of contract no. <Insert Contract No.> dated. <Date> to provide services for <name of the assignment> to Department of Registration, Excise and Prohibition (hereinafter called “the beneficiary”)

And whereas it has been stipulated by the department in the said contract that the bidder shall furnish you with a bank guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with its obligations in accordance with the contract;

And whereas we, **<Name of Bank>** a banking company incorporated and having its head /registered office at <Address of Registered Office> and having one of its office at <Address of Local Office>have agreed to give the supplier such a bank guarantee.

Now, therefore, we hereby affirm that we are guarantors and responsible to you, on behalf of the supplier, up to a total of **Rs.<Insert Value>(Rupees <Insert Value in Words> only)** and we undertake to pay you, upon your first written demand declaring the supplier to be in default under the contract and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of Rs.**<Insert Value>(Rupees<Insert Value in Words> only)** as aforesaid, without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand or the sum specified therein.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the bidder before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the contract to be performed there under or of any of the contract documents which may be made between you and the Bidder shall in any way release us from any liability under this guarantee and we hereby waive notice of any such change, addition or modification.

This Guarantee shall be valid until *<Insert Date>*)

Notwithstanding anything contained herein:

a. Our liability under this bank guarantee shall not exceed **Rs.<Insert Value>(Rupees <Insert Value in Words> only).**
b. This bank guarantee shall be valid up to *<Insert Expiry Date>*)
c. It is condition of our liability for payment of the guaranteed amount or any part thereof arising under this bank guarantee that we receive a valid written claim or demand for payment under this bank guarantee on or before *<Insert Expiry Date>*) failing which our liability under the guarantee will automatically cease.